आ0सं0:-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-02/2021.........दिनांक-

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सकारण आदेश

Construction of Residential Quarter of Family Court, Nawada के निर्माण कार्य की निविदा में संवेदक, M/s Jaijeet Singh, Vill-Amri, P.O-Sohaipur, P.S-Muffasil, Dist-Gaya, Pin-823003 द्वारा गलत अनुभव प्रमाण-पत्र अपलोड किया गया जिसके कारण मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा संवेदक को दोषी मानते हुये इनके विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 में निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा अपने पत्रांक-2882 दिनांक-31.12.2020 के द्वारा अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को की गयी।

मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन/कालीकरण संबंधित बैठक में इस पर विचार किया गया तथा विचारोपरांत विभागीय पत्रांक-362 दिनांक-18.01.2021 एवं पत्रांक-983 दिनांक-15.02.2021 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पूछा गया । साथ ही पत्रांक-1159 दिनांक-22.02.2021 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी सूचित किया गया ।

संवेदक से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण पुनः अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन/कालीकरण संबंधित बैठक में इसपर विचार किया गया तथा विचारोपरांत समिति द्वारा संवेदक के निबंधन को तीन वर्षों के लिए निलंबित किया गया ।

उक्त आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक समादेशवाद संख्या-20656/2021 दायर किया गया । जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया । "After the mater was heard for some time, finding the Court not in favour of the submissions made by the learned counsel for the petitioner, learned counsel for the petitioner, under instructions, states that the petitioner shall be content if the petitioner is permitted to withdraw the present petitions, with liberty to initiate appropriate proceedings before the appropriate forum and to take recourse to such other alternate remedies which are equally efficacious in law." संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के सक्षम अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया हैं ।

अपील अभ्यावेदन के क्रम में दिनांक-26.08.2022 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई एवं संवेदक, श्री जयजीत सिंह सुनवाई में उपस्थित हुए । संवेदक के द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चतरा द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र पत्रांक-973 दिनांक-16.08.2019 को निविदा में अपलोड किया गया था । उक्त अपलोड किये गये अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० ने

मुख्य महाप्रबंधक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना 15

अपने पत्रांक-2412 दिनांक-09.11.2020 द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चतरा से करायी गयी । कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चतरा के अपने पत्रांक-1025 दिनांक-05.12.2020 के द्वारा यह सूचित किया कि उनके कार्यालय से उक्त अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया हैं । कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चतरा से प्राप्त सूचना के आधार पर यह परिलक्षित हुआ कि संवेदक द्वारा गलत अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया गया हैं । संवेदक ने अपने अभ्यावेदन के साथ संलग्न स्पष्टीकरण में यह अंकित किया है कि मेरे एक चिर परिचित व्यक्ति द्वारा स्वयं मेरे कागज पर टेन्डर भरने के लिए दवाब बनाकर तथा ईमोशनल ब्लैकमेल करके मुझसे कागजात ले लिया गया । साथ ही उन्होंने यह भी अंकित किया है कि उनके द्वारा सही कागजात दिया गया था, परन्तु संबंधित व्यक्ति द्वारा आवेदन पूर्ण करने के लिए गलत कागजात निविदा में संलग्न कर दिया गया ।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि संवेदक द्वारा अपने निबंधन का दुरूपयोग किया गया साथ ही सुनवाई में संवेदक द्वारा स्वयं गलत कागजात अपलोड किये जाने की बात स्वीकार की गई ।

अतः ऐसी परिस्थिति में अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1985(भ) दिनांक-18.03.2021 द्वारा पारित आदेश यथावत् रहेगा । सम्यक विचारोपरांत अपील खारिज की जाती हैं ।

ह0/-

(कुमार रवि)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-02/2021 पटना,दिनांक-

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपिः-संवेदक, M/s Jaijeet Singh, Vill-Amri, P.O-Sohaipur, P.S-Muffasil, Dist-Gaya, Pin-823003के निबंधन सं०-RWD-1/1190124/15.04-2019 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-02/2021 6079 (भ) पटना,दिनांक- 29/8/22

प्रतिलिपिः-सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग,/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/8/22

सरकार के सचिव